भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3681
बुधवार, 25 मार्च, 2026 (4 चैत्र 1948 (शक)) को उत्तरार्थ

सहकारी ऋण संरचना और वित्तीय स्थिरता

3681 श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:
श्री केसरीदेवसिंह झालाः
श्रीमती संगीता यादवः
श्रीमती सीमा द्विवेदीः
श्री मिथलेश कुमारः
श्री शंभू शरण पटेलः
श्री नारायण कोरागप्पाः
श्री मोकरिया रामभाईः
श्री सुभाष बरालाः
श्री एस. सेल्वागनबेथीः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पाँच वर्षों में कुल कृषि ऋण संवितरण में सहकारी संस्थाओं का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या आरबीआई और नाबार्ड के समन्वय से सहकारी बैंकों का स्ट्रेस टेस्टिंग किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने के लिए कोई दीर्घकालिक पुनर्पूजीकरण या समेकन कार्यनीति विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान कुल कृषि ऋण संवितरण में सहकारी संस्थाओ की हिस्सेदारी का ब्योरा दिया नीचे गया है:

वित्तीय वर्ष	सभी एजेंसियों द्वारा संवितरित कुल कृषि ऋण (करोड़ रुपये में)	ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा संवितरित कृषि ऋण (करोड़ रुपये में)	संवितरित ऋण में ग्रामीण सहकारी समितियों की हिस्सेदारी (%)
2024-25	28,66,880	2,57,687	9
2023-24	25,48,635	2,42,008	9.5
2022-23	21,55,163	2,36,349	11
2021-22	18,63,363	2,43,220	13
2020-21	15,75,398	1,90,682	12

डेटा स्रोत: नाबार्ड के एन्सयोर पोर्टल पर बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 28.11.2025 को आस्ति देयता प्रबंधन पर सहकारी बैंकों (आरसीबीए और यूसीबी) के लिए मुख्य निर्देश जारी किए, जिनमें तरलता जोखिम प्रबंधन और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन शामिल हैं; ये दोनों ही तनाव परीक्षण के अभिन्न घटक हैं ।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने सहकारी ऋण संरचना को सशक्त करने के लिए दीर्घकालिक पुनर्पूंजीकरण और समेकन के लिए निम्नलिखित उपाय निर्धारित किए हैं: -

(i) पूँजी पर्याप्तता आवश्यकता: आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) को निरंतर आधार पर 9% का न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखना अनिवार्य है । यह केवल विनियामक न्यूनतम है; विकास और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त पूंजी आवश्यक है ।

(ii) पूँजी प्रबंधन पर मार्गदर्शन नोट: नाबार्ड ने दिनांक 10 मई 2024 के परिपत्र के माध्यम से ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) के लिए एक मार्गदर्शन नोट जारी किया है जिसमें पूँजी नियोजन, निर्गमन, उपयोग और आंतरिक नियंत्रण को शामिल किया गया है ।

(iii) बैंकों की भूमिका: बैंकों को नाबार्ड द्वारा अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूँजी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए एक भविष्योन्मुखी और बोर्ड-संचालित पूँजी प्रबंधन फ्रेमवर्क को अपनाने की सलाह दी जाती है ।

(iv) 9% से कम सीआरएआर वाले बैंकों के लिए रणनीतियाँ:

- पुनरुद्धार योजना (टीएपी): नाबार्ड ने कमजोर ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) के लिए एक व्यापक और बहुआयामी पुनरुद्धार योजना (टीएपी) कार्यान्वित की है, जिसमें वित्तीय पैरामीटर्स, व्यवसाय विविधीकरण, गवर्नेंस, आंतरिक नियंत्रण, लागत

युक्तिकरण, मानव संसाधन विकास, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और वित्तीय समावेशन को शामिल किया गया है ।

- राज्य सरकारों की भूमिका: नाबार्ड ने राज्य सरकारों से ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) की शेयर पूंजी में योगदान करने का आग्रह किया है । हाल के वर्षों में मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार जैसे राज्य पहले ही ऐसा कर चुके हैं ।

- नाबार्ड पुनर्वित्त सहायता: नाबार्ड राज्य सरकारों को नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 27 के तहत आरसीबी में शेयर पूंजी अंशदान का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है ।
